

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर आयुक्तलय अहमदाबाद—III COMMISSIONERATE OF CENTRAL EXCISE & SERVICE TAX AHMEDABAD-III

सीमा शुल्क भवन CUSTOMS HOUSE, आकाशवाणी के पास NEAR.ALL INDIA RADIO, नवरंगपुरा NAVARANGAPURA, अहमदाबाद AHMEDABAD-380009 Tele:27545100/ Fax-27543676

व्यापार सूचना स 02/2017/सेवाकर

Trade Notice No. 02/2017/ST

विषय: केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना/ अधिसूचनाओं का प्रेषण ।

The following notifications issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (CBEC) is enclosed herewith for information and guidance of the trade and field formation. The Notifications are self-explanatory.

इसके साथ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा जारी निम्नलिखित अधिसूचना/ अधिसूचनाओं की प्रतियां व्यापारियों व क्षेत्रीय संगठनों एवं संबंधित मंडल कार्यालयों, निर्धारण परिक्षेत्रों, मुख्यालय अनुभागों की जानकारी, मार्गदर्शन एवं आवश्यक उचित कार्यवाही तथा कार्यान्वयन के लिए संलग्न की जाती है

अधिसूचना / परिपत्र सख्या	दिनांक	फ़ा सख्या
	30.01.2017	354/149/2016-TRU
	30.01.2017	354/149/2016-TRU
	02.02.2017	334/7/2017-TRU
	अधिसूचना / परिपत्र सख्या 05/2017-Service Tax 06/2017-Service Tax 07/2017-Service Tax	05/2017-Service Tax 30.01.2017 06/2017-Service Tax 30.01.2017

अधिसूचना / अधिसूचनाएँ स्वतः स्पष्ट है।

Notification is self-explanatory.

All Trade Associations / Chamber of Commerce and the Members of the RAC / PGC are requested to bring this to the notice of their members / constituents.

सभी व्यापार संघ / वाणिज्य मूण्ड्ल ओर क्षेत्रीय सलाहकार समिति / लोक शिकायत समिति के सद्स्यों से य्'ह अनुरोध किया जाता है कि वे इसे अपने सद्स्यों / विनिम्नाताओं के ध्यान में ला दें।

All JDC/JAC of C.Ex. Ahmedabad-III are directed to bring this to the notice of all Range officers under their charge.

सभी उप आयुक्त / सहायक आयुक्त को निर्देश दिये जाते है कि वे अपने प्रभार के सभी अधीन्स्थ परिक्षेत्र अधिकारीयों के ध्यान में ला दे।

अपर आयुक्त

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

अहमदाबाद-3

दिनांक:01.02.2017

फा.सं. IV / 16-12 / STC/TN/2016